



क्रमांक 524 / बै.प्र. / एपीडीएमबी / 2025

बिलासपुर, दिनांक : 14-07-2025

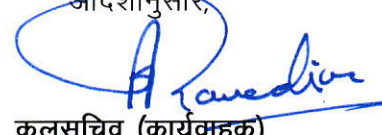
कार्यालयीय ज्ञाप

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 338 / बै.प्र. / (एपीडीएमबी) / 2025 बिलासपुर दिनांक 24.01.2025 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 48(2)(5) (संशोधित) प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड (एपीडीएमबी) में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :-

1. 48(2)(5) परीक्षा नियंत्रक, वित्ताधिकारी, ग्रंथपाल, अभियंता और प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग

1. विश्वविद्यालय यंत्री - प्रो० निशांत यादव, आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग विभाग
के स्थान पर
श्री आकाश बंसल, विश्वविद्यालय यंत्री

उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत सदस्यों का कार्यकाल पदेन पद अथवा अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड के कार्यकाल जो भी पहले हो के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ० क्रमांक 525 / बै.प्र. / एपीडीएमबी / 2025

बिलासपुर, दिनांक : 14-07-2025

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. कार्यालय प्रति।


कुलसचिव (कार्यवाहक)